Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

प्रेमनाथ बनाम खेमाराम आदि

कि0 मु0– प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 65 एलआर एक्ट प्र0सं0–51/2024 जीसीएमएस प्र0रा0– 2024/56

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17.11.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। वकील प्रार्थी दौराने बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र संख्या 02/2024 ब अनवान प्रेमनाथ बनाम खेमाराम आदि अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम के तहत इस न्यायालय में जैरकार था जिसमें प्रार्थी बतौर प्रार्थी पक्षकार था। अधिवक्ता प्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर उक्त प्रकरण अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गई। प्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है जिसे सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र संख्या 117/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2024 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी हाजरी में खारिज किया गया है, को निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः पेशी में जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। मूल पत्रावली का न्यायोचित निर्णय हेतु हम न्यायहित में प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 02/2024 ब अनवान प्रेमनाथ बनाम खेमाराम आदि अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम को पुनः नये नम्बर पर दर्ज कर आदेश दिनांक 04.09.20524 से पूर्व की स्थिति से प्रारम्भ करने के आदेश दिये जाते है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दीनानाथ बब्बल) अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़(श्री गंगानगर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:25:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner